न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 45/2016

पंचायत समिति जवाजा जिला अजमेर जरिये श्री दिनेश जोधावत, ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत बलाड़ पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर।

.......निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

श्री महेन्द्र कुमार सारस्वत पुत्र श्री चांदमल सारस्वत निवासी गायत्री नगर, अजमेर रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर।

........अप्रार्थी

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 97
राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :-

1. श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की ओर से।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अप्रार्थी की ओर से।

-: आदेश :-

दिनांक 31.05.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान ''न्याय आपके द्वार 2017'' का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री महेन्द्र कुमार सारस्वत पुत्र श्री चांदमल सारस्वत जाति ब्राह्मण निवासी गायत्री नगर, अजमेर रोड़, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा ग्राम पंचायत बलाड़ के समक्ष खसरा नम्बर 457 में स्थित बाड़ा का बापी पट्टा लेने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली क्रमांक/स्पे/ प0/4 दिनांक 01.01.1996 निर्मित की जाकर पूर्ण वैधानिक कार्यवाही के पश्चात् अप्रार्थी के पक्ष में 1225 वर्गगज का बापी पट्टा क्रमांक/एस/बी/पी/4 वर्ष 19.01.1996 दिनांक 16.01.1996 को जारी कर दिया। निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी उपरोक्त पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी पेश होने अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया व अधिनस्थ न्यायालय का वांछित रेकार्ड मंगवाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुई तथा जवाब नोटिस पेश किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति जवाजा ने अपने पत्र क्रमांक/पसज/पंचायत/ 2017/6686 दिनांक 03.03.2017 से वांछित पट्टे का मूल रेकार्ड पंचायत हाजा में उपलब्ध नहीं होने बाबत् अवगत करवाया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया बापी पट्टा न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि श्री बृजलाल लोधा व श्री जगदीश प्रसाद न्याती क्रमशः तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित थे, दोनों की मृत्यु हो जाने से उन्हें निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है। तत्कालीन सरपंच द्वारा पंचायत

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिनियम के विरूद्व अपने परिचित अप्रार्थी को राजस्व रेकार्ड के अनुसार उक्त भूमि ग्राम पंचायत की सीमा में न होकर नगर परिषद ब्यावर की सीमा में स्थित थी का विधि विरूद्व तरीके से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है जिसकी शिकायत होने पर पंचायत समिति जवाजा की जांच रिपोर्ट दिनांक 29.06.2013 की अनुपालना में आक्षेपीय पट्टे को निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है। उन्होंने यह भी कथन किया कि तत्कालीन सरपंच द्वारा आक्षेपीय पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार पटवारी रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की गई है। आक्षेपीय पट्टा की भूमि ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र में नहीं होकर ब्यावर नगर परिषद् सीमा क्षेत्र में स्थित है। आक्षेपित बापी पट्टे पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है जो कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 167(2) की पूर्णतः अवहेलना है। वकील निगरानीकार ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि आक्षेपित पट्टा लोक सेवक एवं उसके परिवार को निःशुल्क जारी किया गया है जो विधि विरूद्व है। आक्षेपीय पट्टा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक रूप से कोई आपत्ति प्राप्त न कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के विपरीत कार्य किया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका मात्र अप्रार्थी को परेशान करने की नीयत से बिना किसी अधिकार के एवं बिना किसी आधार के प्रस्तुत की गई है जो निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि निगरानी याचिका पंचायत समिति जवाजा जरिये श्री दिनेश जोधावत ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत बलाड़ के द्वारा प्रस्तुत की गई है जबकि उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने का कोई लोकस, अधिकार ही नहीं है, नियमानुसार निगरानी याचिका पंचायत समिति जवाजा जरिये विकास अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। निगरानी याचिका में दर्शाये भूखण्ड पट्टे के संदर्भ में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 61 के अनुसार आदेश की तारीख से तीस दिवस की अवधि में ही पंचायत समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इस प्रकार निगरानी याचिका जो कि विधि प्रावधानों के प्रतिकूल एवं प्रार्थी ग्राम सेवक पदेन सचिव के द्वारा बिना किसी अधिकार के अवैधानिक रूप से प्रस्तुत की गई है जो निरस्त योग्य है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि आक्षेपीय बापी पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत बलाड़ में स्थित न होकर नगर परिषद् ब्यावर में अवस्थित है जबकि नगर परिषद ब्यावर के पत्र दिनांक 15.01.2015 के अनुसार ग्राम बलाड़ ग्राम पंचायत के अधीन था एवं आज भी है तथा नगर परिषद् ब्यावर का कोई दखल नहीं था। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बलाड़ के पत्र दिनांक 28.05.2015 के अनुसार भी ग्राम पंचायत स्वतंत्र ईकाई के रूप में कार्य कर रही है तथा नगर परिषद् के अधीन नहीं है। उन्होंने आगे कथन किया कि ग्राम बलाड़ की जमाबंदी संवत् 2070–73 के अनुसार आक्षेपीय भूखण्ड खसरा नम्बर 457 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी ग्राम पंचायत बलाड़ की आबादी में दर्ज है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 463 ग्राम बलाड़ में स्थित है, इस प्रकार अप्रार्थी ग्राम बलाड़ की खातेदार है तथा इसी कारण उनके पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी के अलावा विवादित खसरा नम्बर में से कई अन्य व्यक्ति के पक्ष में विधिवत भूखण्डों के रूप में पट्टे भी जारी किये गये किन्तु प्रार्थी द्वारा अन्य पट्टाधारी व्यक्तियों के विरूद्व कोई कार्यवाही

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

निगरानी ही प्रस्तुत नहीं की गई जबकि विवादित खसरा नम्बर में कई आवासीय मकान, बाड़े इत्यादि बने हुए है तथा कहीं भी रिक्त भूमि नहीं है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र झूठी शिकायत के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्व द्वेषतावश कार्यवाही की गई है। निगरानी याचिका में सरपंच ग्राम पंचायत बलाड़ को पक्षकार नहीं बनाया गया है केवल यह उल्लेख किया जाना कि तत्कालीन सरपंच की मृत्यु हो चुकी है जबकि विधिवत वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत बलाड़ को निगरानी याचिका में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। नियमानुसार सरपंच द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया बल्कि बहैसियत ग्राम पंचायत सरपंच के पट्टा जारी किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। निगरानीकार द्वारा आक्षेपीय बापी पट्टे से संबंधित मूल रेकार्ड उपलब्ध नहीं करवाये जाने से अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्राविधित प्रावधानों के विपरीत नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त निगरानीकार का यह कथन कि ग्राम बलाड़ स्थित विवादित भूमि ग्राम पंचायत बलाड़ की आबादी भूमि न होकर नगर परिषद की सीमा में अवस्थित है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत बलाड़ हेतु आरक्षित खसरा नम्बर 457 में स्थित है। हम वकील अप्रार्थी के इस कथन से सहमत है कि प्रार्थी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बलाड़ को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि नियमानुसार वर्तमान सरपंच को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। प्रार्थी/निगरानीकार का यह कथन कि आक्षेपीय पट्टे बाबत् शिकायत की जांच पर पंचायत समिति जवाजा की जांच रिपोर्ट की अनुपालना में निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है, किन्तु आक्षेपीय पट्टे से संबंधित मूल रेकार्ड ही पंचायत समिति जवाजा के समक्ष उपलब्ध नहीं था तो विधिवत जांच किस प्रकार से की गई, समझ से परे है तथा यदि रेकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्व क्या कार्यवाही की गई अथवा रेकार्ड को तलाश करने के प्रयास भी किये गये अथवा नहीं पत्रावली के अवलोकन से कहीं स्पष्ट नहीं है तथा मूल पट्टा पत्रावली के अभाव में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत बलाड़ द्वारा आक्षेपीय पट्टे की छाया प्रति किन नियमों के तहत सत्यापित की गई है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि निगरानीकार द्वारा केवल मात्र कयासों के आधार पर अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए यह आधारहीन निगरानी याचिका प्रस्तुत कर न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त की जाकर निगरानीकार को आदेशित किया जाता है कि वे मूल पट्टा पत्रावली की तलाश करावें। अन्यथा स्थिति में उत्तरदायित्व व्यक्ति के विरूद्व नियमानुसार संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करावें।

आदेश आज दिनांक 31.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner